पंकज कुमार
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग
लखनऊ - 226001
ई मेल : office.md@uppcl.org
कार्यालय : 0522 - 2288377

संख्याः I/26797/2025-ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01 / CN–16204 दिनांकः 03.10.2025

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को,
वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ / कानपुर।
[md@puvvnl.in/md@mvvnl.org/ md@dvvnl.org/
md@pvvnl.org//mdkesco@kesco.org.in]

विषयः–विभागीय अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों / शिकायती पत्रों का निस्तारण उ0प्र0 शासन के विभिन्न शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कारपोरेशन के पत्र संख्या–30–ज0श0 एवं प्र0सु0–01 / पाकालि / 2020–14–ज0श0 / 98 (टी0सी0) दिनांक 09–01–2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–13 / 1 / 97–का–1 / 2012 दिनांक 19–04–2012, आदेश संख्या–13 / 1 / 97–का–1 / 1997 दिनांक 01–08–1997 एवं आदेश संख्या–13 / 1 / 97–का–1 / 1997 दिनांक 09–05–1997 के अनुसार विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों का निस्तारण निम्नवत् निर्धारित प्रक्रियानुसार कराया जाना सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया हैः–

1. विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती–पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्तियों को पत्र भेजकर यह पुष्टि करा ली जाए कि पत्र उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षरित है और शिकायतों के सम्बन्ध में उनका सन्तोष हो गया है कि शिकायतें तथ्यों पर आधारित हैं।
2. अन्य स्रोतों / व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ–पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाए और उनके प्राप्त होने के उपरान्त ही आगे कार्यवाही की जाए।

उपर्युक्त व्यवस्था में अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1 / 2024 / 63 / सैंतालीस–का–1–2024–13(1) / 1997 दिनांक 29 जनवरी, 2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्पष्ट किया गया है किः–

1. विशिष्ट व्यक्तियों में केवल वर्तमान मा0 सांसदों / मा0 विधायकों को ही परिगणित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न संवैधानिक निकायों (Statutory Body) के वर्तमान अध्यक्षों को भी विशिष्ट व्यक्तियों में परिगणित किया जायेगा।
2. इसी क्रम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अन्य शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र को उक्तानुसार वर्णित विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा अपने पत्र के माध्यम से अग्रसारित किया जाता है तो ऐसे शिकायतकर्ता से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की जाएगी।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि कारपोरेशन/डिस्काम के विभिन्न स्तरों पर लम्बित/प्राप्त होने वाले समस्त शिकायती पत्रों का निस्तारण कारपोरेशन के पत्र दिनांक 09–01–2020 में उल्लिखित प्रक्रिया एवं शासन के उक्त आदेश दिनांक 29–01–2024 द्वारा विशिष्ट व्यक्तियों एवं उनके द्वारा अग्रसारित किये गये शिकायती पत्रों के विषय में की गयी स्पष्टता (Clarification) के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

03/10/25

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

<u>सं0–I/26797/2025-ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/CN–16204 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ। [director_p@uppcl.org/directorcomm@uppcl.org/directord@uppcl.org/ directorfin@uppcl.org/directorit@uppcl.org/ directorcp@uppcl.org]
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर। [dirper@puvvnl.in/ dirpa@mvvnl.org/ dirpma@dvvnl.org/ dirpma@pvvnl.org]
3. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत),उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन–विस्तार, लखनऊ।
4. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ। [adsecy1.pm@uppcl.org/adsecy2.pm@uppcl.org/adsecy3.pm@uppcl.org]
5. समस्त मुख्य अभियन्ता, समस्त डिस्काम।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, समस्त डिस्काम।
7. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन–विस्तार, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन–विस्तार, लखनऊ। [eewebuppcl@uppcl.org]
9. पुस्तकालयाध्यक्ष, उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(विनोद कुमार मिश्र)
अपर सचिव–प्रथम

संख्या-1/2024/63 /सैंतालीस-का-1-2024-13(1)/1997

प्रेषक,

डॉ देवेश चतुर्वेदी ,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 29 जनवरी ,2024

विषय:- सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायती-पत्रों के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या-13/1/97-का-1/1997, दिनांक-09 मई,1997 एवं शासनादेश संख्या-13/1/97-का-1/1997, दिनांक -01अगस्त,1997 के माध्यम से निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की गयी है:-

(i) विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती-पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व,सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्टि करा ली जाय कि पत्र उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षरित है और शिकायतों के सम्बन्ध में उनका संतोष हो गया है कि शिकायतें तथ्यों पर आधारित हैं |

(ii) अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ-पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाय और उनके प्राप्त होने के उपरान्त ही आगे की कार्यवाही की जाय।

2- उपर्युक्त व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट करने का मुझे निदेश हुआ है कि:-

(i) विशिष्ट व्यक्तियों में केवल वर्तमान मा० सांसदों/मा० विधायकों को ही परिगणित किया जायेगा | उक्त के अतिरिक्त विभिन्न संवैधानिक निकायों (Statutory body) के वर्तमान अध्यक्षों को भी विशिष्ट व्यक्तियों में परिगणित किया जायेगा |

(ii) इसी क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी अन्य शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र को उक्तानुसार वर्णित विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा अपने पत्र के माध्यम से अग्रसारित किया जाता है तो ऐसे शिकायतकर्ता से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की जाएगी।

भवदीय ,
(डॉ देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-1/2024/63(1) /सैंतालीस-का-1-2024-13(1)/1997,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)समस्त विभागाध्यक्ष /प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष ,उ० प्र० शासन |
(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग |
(3)गार्डफाइल।

आज्ञा से ,
राजेश प्रताप सिंह
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–30–ज0श0 एवं प्र0सु0–01 / पाकालि / 2020–14–ज0श0 / 98 (टी0सी0), दिनाँक 07 .01.2020

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल / मध्याँचल / पश्चिमाँचल / दक्षिणाँचल,
वि0वि0नि0लि0, कानपुर आपूर्ति कम्पनी (केस्को)
वाराणसी / लखनऊ / मेरठ / आगरा / कानपुर।

विषयः– विभागीय अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों / शिकायती पत्रों का निस्तारण उ0प्र0 शासन के विभिन्न शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–13 / 1 / 97–का–1 / 2012, दिनाँक 19.04.2012 **(छायाप्रति संलग्न)** एवं तद्संलग्नक सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–13 / 1 / 97–का–1 / 1997, दिनाँक 09.05.1997 द्वारा समूह 'क' तथा तत्क्रम में निर्गत पत्र संख्या–13 / 1 / 97–का–1 / 1997, दिनाँक 01.08.1997 द्वारा समूह 'ख', 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के विभागीय अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों / शिकायती पत्रों का निस्तारण निम्नवत् निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करें :–

1. विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती–पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्टि करा ली जाय कि पत्र उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षरित है और शिकायतों के सम्बन्ध में उनका सन्तोष हो गया है कि शिकायतें तथ्यों पर आधारित हैं।
2. अन्य स्रोतों / व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाय और उनके प्राप्त होने के उपरान्त ही आगे कार्यवाही की जाय।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है कि विभाग के विभिन्न स्तरों पर लम्बित / प्राप्त होने वाले समस्त शिकायती पत्रों का निस्तारण उ0प्र0 शासन के उपरोक्त आदेशों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

(एम0 देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या–30(i)–ज0श0 एवं प्र0सु0–01 / पाकालि / 2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), मध्यांचल / पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा / केस्को, कानपुर।
3. अपर सचिव (प्रथम / द्वितीय / तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(एम0 देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

प्रेषक,

संख्या–13/1/97–का–1/2012

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1)समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2)समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(3)समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–1

लखनऊ :: दिनांक 19 अप्रैल, 2012

विषयः–सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों का निस्तारण।

महोदय,

कृपया समूह 'क' के अधिकारियों एवं समूह 'ख', 'ग' तथा 'घ' के सरकारी सेवकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों के निस्तारण हेतु कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 09 मई,1997 तथा दिनांक 01 अगस्त, 1997 (सुलभ संदर्भ हेतु प्रतिलिपियाँ संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उल्लेखनीय है कि रिट याचिका संख्या–4372(एस0एस0)/2011 कुमदेश कुमार शर्मा बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.2012 को आदेश पारित करते हुए निम्नवत् observations किये गये हैं :–

Before parting with the matter, this court would like to observe that the Government Orders dated 09.05.1997 and 01.08.1997, which encompass group 'Kha' 'Ga' and 'Gha' employees of the State Government also, provide for adequate caution to be taken by the authorities concerned while inquiring into the complaints made against the government officers/employees of different categories. However, from the averments made in the counter affidavit filed by the respondents in the instant case, it is clear that the said procedure as provided in the government orders dated 09.05.1997 and 01.08.1997 was not followed. A perusal of the complaint made by Sri Ajay Kumar which has been annexed as anneuxre No. 4 to the writ petition reveals that the said complaint does not even bear the address of the complainant. The purpose of issuance of the aforesaid two government orders is not only to safegaurd the government officers from unnecessary harassment but also to curb the tendency of making frivolous and anonymous complaints against the government servants. The State Government and its authorities by not following the procedure prescribed in the

Scanned by CamScanner

aforesaid government orders are doing disservice to the society and as such, it would be appropriate to issue a direction to the State Government to ensure that the procedure provided in the Government Orders dated 09.05.1997 and 01.08.1997 is adhered to. Accordingly, a direction is issued to the State Government to strictly follow the procedure prescribed under the aforesaid two government orders.

3. अतएव, इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों के निस्तारण के प्रत्येक मामले में उपरिसन्दर्भित शासनादेशों दिनांक 09 मई,1997 एवं दिनांक 01 अगस्त, 1997 में वर्णित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या–13/1/97(1)–का–1/2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश ।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्रीजी ।
7. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. नियुक्ति अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन को कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने के प्रयोजनार्थ प्रेषित।
9. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
10. अपर महाधिवक्ता, उ0प्र0, इलाहाबाद/लखनऊ पीठ, लखनऊ।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

संलग्नक : यथोपरि।

आज्ञा से,

(एच0एन0–गुप्ता)
विशेष सचिव।

Scanned by CamScanner

संख्या 13/1/97-का-1/1997

प्रेषक,

जगजीत सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ, दिनांक 01 अगस्त, 1997

विषय : समूह "ख", "ग" तथा "घ" के सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों का निस्तारण।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-1

कतिपय स्रोतों से समूह "क" (श्रेणी-1) के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों के निस्तारण हेतु समसंख्यक शासनादेश दिनांक 09 मई, 1997 में प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समूह "ख", "ग" तथा "घ" श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों के निस्तारण हेतु भी समान प्रक्रिया अपनायी जाय। उक्त प्रक्रिया निम्नवत् है :-

(1) विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती-पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्टि करा ली जाय कि पत्र उन्ही के द्वारा हस्ताक्षरित है और शिकायतों के सम्बन्ध में उनका सन्तोष हो गया है कि शिकायतें तथ्यों पर आधारित हैं।

(2) अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से इस बारे मे एक शपथ-पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाय और उनके प्राप्त होने के उपरान्त ही आगे कार्यवाही की जाय।

2-अतः आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि, शासन के विभिन्न स्तरो पर लम्बित/प्राप्त होने वाले समस्त शिकायती-पत्रों का उपरोक्त निर्णयों के अनुसार ही निस्तारण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
जगजीत सिंह,
सचिव।

संख्या 13/1/97-का-1/1997, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव, सतर्कता विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
के0 एम0 लाल,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 1 सा0 नियुक्ति-21-4-2012-(99)-4000+2 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।

संख्या 13/1/97-का-1/1997

प्रेषक,

जगजीत सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ, दिनांक 9 मई 1997

विषय : समूह "क" (श्रेणी - 1) के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रो का निरतारण।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-1

कतिपय स्रोतों से शासन के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इनमें कुछ मा0 सांसदों/विधायकों से प्राप्त शिकायतें होती है तथा कुछ अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त होती हैं। कतिपय मामलों में यह देखा गया है कि शिकायती-पत्रो मे अंकित शिकायत कर्ता का नाम फर्जी है तथा शिकायतें निराधार व तथ्यहीन है। कतिपय मामलों मे किसी विशिष्ट व्यक्ति के पैड का दुरुपयोग करते हुए फर्जी हस्ताक्षर से शिकायती पत्र दिये जाते हैं।

2-अतः बेनामी अथवा फर्जी शिकायतों की बढती प्रवृत्ति को दृष्टि मे रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि समूह "क" (श्रेणी-1) के सभी अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्रों के निरतारण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाय :-

(1) विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती-पत्रों के सम्बन्ध मे कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्टि करा ली जाय कि पत्र उन्ही के द्वारा हस्ताक्षरित है और शिकायतों के सम्बन्ध मे उनका सन्तोष हो गया है कि शिकायतें तथ्यो पर आधारित हैं।

(2) अन्य स्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ-पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतो की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाय और इसके प्राप्त होने के उपरान्त ही आगे कार्यवाही की जाय।

3-अतः आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि समूह "क" (श्रेणी-1) के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शासन के विभिन्न स्तरों पर लम्बित/प्राप्त होने वाले समस्त शिकायती-पत्रों का उपरोक्त निर्णयों के अनुसार ही निरतारण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
जगजीत सिंह,
सचिव।

संख्या 13/1/97-का-1/1997, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव, सतर्कता विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0
(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
के0 एम0 लाल,
विशेष सचिव।

Scanned by CamScanner